कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी एटा।

पत्र संख्या– पेट्रो–06 / सी0एफ0ओ0 / 16 दिनांक 8-5-2016

सेवा में,

जिलाधिकारी,

एटा।

विषयः **गॉव भगीपुर तहसील सदर जनपद एटा के गाटा संख्या 641 पर इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 को नये रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः **आपका पत्रांक–132 / न्याय सहायक** दिनांक–:25.04.2016

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके माध्यम से गॉव भगीपुर तहसील सदर जनपद एटा के गाटा संख्या 641 एटा से शिकोहाबाद रोड पर नये रिटेल आउटलेंट स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में प्रश्नगत स्थल के प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार निरीक्षण / परीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र एटा श्री नरेशसिंह द्वारा कराया गया तो उनकी आख्या दिनांक 27.04.2016 के अनुसार प्रश्नगत स्थल एटा से शिकोहाबाद रोड पर माइलेज स्टोन संख्या 1.105 किलोमीटर पर स्थित है। प्रश्नगत स्थल के सामने सड़क की चौड़ाई 45 मीटर जिसमें पक्की(डावरीकरण) सड़क की चौड़ाई 7 मीटर है। प्रस्तावित स्थल तक फायर सर्विस के वाहन सुगमता से आ जा सकते हैं। वर्तमान में प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई भी हाईटेंशन / लोटेंशन विद्युत लाइन नही गुजर रही है। प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अग्निशमन संस्तुति प्रभारी अग्निशमन केन्द्र एटा द्वारा की गयी है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये मैंसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 को प्रश्नगत स्थल गाटा 641 गॉव भगीपुर तहसील सदर जनपद एटा पर नये रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु आख्या निम्न प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती है।

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट 1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स –2002 तथा ओ0आई0एस0डी0 में उल्लेखित संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि ने उल्लेखित विधि के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार की कोई हाइटेन्शन / लोटेन्शन विद्युत लाइन नहीं गुजारी जायेगी।

C.F.O
ETAH

3. प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शायें गये पेट्रोलियम पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थ का भण्डारण नहीं किया जायेगा।

4. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त प्रश्नगत स्थल पर किसी प्रकार के ऐसे पदार्थ जो चिनगारी/अग्नि उत्पन्न करते हौ का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसके लिए समुचित सुरक्षा के उपाय किये जायेगें।

5. प्रस्तावित स्थल पर धुम्रपान निषेध बोर्ड एवं आग से सावधानी के संसूचक एवं आपातकालीन टेलीफोन नं0 की सूची को दर्शाना होगा।

6. प्रस्तावित स्थल पर समुचित अग्निशमन व्यवस्था ओ0आई0एस0डी0 स्टेण्डर्ड, पेट्रोलियम रूल्स एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी उल्लेखित विधि के अनुरूप की जायेगी।

7— प्रश्नगत स्थल पर रिटेल आउटलेट का उपरोक्त निर्देशों के अनुरुप निमार्णोपरान्त स्थानीय अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर इस कार्यालय से स्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा , अन्यथा निर्गत किया गया अस्थाई प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(वी0के0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
एटा।

प्रतिलिपिः— प्रभारी अग्निशमन केन्द्र एटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।